**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1378**
**गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)**

## कार्य बल में महिलाओं की निम्न भागीदारी

**1378. श्री संजय सिंहः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी केवल 19 प्रतिशत है;

(ख) यदि हाँ, तो श्रम बल में महिलाओं की ऐसी निम्न भागीदारी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कार्य बल में महिलाओं को शामिल करने के लिए उपाय करने के सरकार के दावों के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में भागीदारी दर 32 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की योजना बना रही है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (ङ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध नवीनंतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) क्रमशः 24.5%, 30.0% एवं 32.5% थी, जो कि एलएफपीआर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

इसके साथ-साथ, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 23.3%, 28.7% और 31.4% थी, यह इस अवधि के दौरान कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

कुछ अध्ययन दर्शाते है कि अधिकांश महिलाएं काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में योगदान करती हैं, उनके अधिकांश कार्यों का दस्तावेजीकरण या इन्हें आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है। हालांकि, दिनांक 12.07.2022 को, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के कुल पंजीकरण में से 52.84% महिलाएं हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेकों सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान नियोक्ता द्वारा, मजदूरी से संबंधित मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ रोजगार प्रदान करने के मामले में समान कार्य  या समान प्रकृति के कार्यों के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध न हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

******